

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र संख्या : NHM/BHDS/114/2023-पी०पी०एम०-230- कृ०/पटना, दिनांक 21/03/2026  
प्रेषक,

कल्पना कुमारी,  
अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

(+) अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित।

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।  
द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

विषय : राज्य स्कीम अन्तर्गत सात निश्चय-2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामूहिक नलकूप योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 के देयता राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 89.98761 लाख (नवासी लाख अठानवे हजार सात सौ एकसठ) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

राज्य स्कीम अन्तर्गत सात निश्चय-2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामूहिक नलकूप योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 के देयता राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 89.98761 लाख (नवासी लाख अठानवे हजार सात सौ एकसठ) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-NHM/BHDS/114/2023-पी०पी०एम०-194 दिनांक-12.03.2025 द्वारा राज्य स्कीम अन्तर्गत सात निश्चय-2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामूहिक नलकूप योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 के देयता राशि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 267.77897 लाख रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कार्यालय पत्रांक-747 दिनांक-17.03.2025 के आलोक में संबंधित जिलों को श्रेणीवार उत्तरदेयता की राशि उपलब्ध करायी गयी तथा संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी उत्तरदेयता भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश कोषागार में भेजी गई। इसमें से 19 जिलों का भुगतान हो गया है तथा शेष 10 जिलों यथा-बेगूसराय, गयाजी, जमुई, कैमूर, किशनगंज, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा एवं शिवहर द्वारा कुल 89.98761 लाख (नवासी लाख अठानवे हजार सात सौ एकसठ) रुपये की राशि की निकासी नहीं हो पाई, जिसके कारण देयता की राशि कुल 89.98761 लाख (नवासी लाख अठानवे हजार सात सौ एकसठ) रुपये की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति इस स्वीकृत्यादेश द्वारा दी जा रही है। अतएव यह चालू योजना है।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-NHM/BHDS/114/2023-पी०पी०एम०-113 दिनांक-27.09.2023 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप (चालू योजना) अंतर्गत राज्य स्कीम अंतर्गत सात निश्चय-2 के तहत सूक्ष्म सिंचाई हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सामूहिक नलकूप योजना का



कार्यान्वयन तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं शुद्धि पत्र संख्या NHM/BHDS/114/2023-पी०पी०एम० 113-123 दिनांक-31.10.2023 के आलोक में किये गये पूर्ण कार्य का सत्यापन संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया गया है।

4. योजनांतर्गत देयता की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि सामूहिक नलकूप योजना में पूर्णतः पूर्ण की गई योजना में कोई भी देयता की राशि शेष नहीं है एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही राशि का भुगतान करेंगे तथा किसी भी गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
5. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। निकासी की गई राशि का ऑनलाईन अनुदान का भुगतान DBT-IN-KIND/DBT-IN-CASH के रूप में संबंधित समूह को BTC-25 पर CFMS 2.0 के माध्यम से किया जायेगा। देयता राशि से संबंधित विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।
6. यह देयता की योजना है, अतः मानव दिवस सृजन का मामला नहीं है।
7. वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
8. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-NHM/BHDS/114/2023-पी०पी०एम०-113 दिनांक-27.09.2023 एवं शुद्धि पत्र संख्या NHM/BHDS/114/2023-पी०पी०एम० 113-123 दिनांक-31.10.2023 के अन्य सभी आदेश पूर्ववत् रहेंगे।
9. महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।
10. योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष - 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष 119 - बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या-01, उप शीर्ष 0101- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष 0101-33-01 सब्सिडी।	19084.49000	84.00478
मुख्य शीर्ष - 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष 789 - अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-01, उप शीर्ष - 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष 0130-33-01 सब्सिडी।	4860.00000	4.27345
मुख्य शीर्ष - 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष 796 - जनजातिय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या-01, उपशीर्ष 0152 - उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-33-01 सब्सिडी।	355.51000	1.70938
<b>कुल</b>	<b>24300.00000</b>	<b>89.98761</b>

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201/वि० दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना कार्यान्वयन हेतु राशि के निकासी एवं व्यय के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर

- माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या- NHM/BHDS/114/2023 के पृष्ठ संख्या-118/टि० पर दिनांक-20.03.2026 को प्राप्त है।
12. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि०(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
13. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- NHM/BHDS/114/2023 के पृष्ठ संख्या-119/टि० पर दिनांक-21.03.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-199 दिनांक-21.03.2026 है।

विश्वासभाजन



(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/114/2023-~~पी०पी०एम०-२३०~~ - कृ०/पटना, दिनांक 21/03/2026  
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/114/2023-~~पी०पी०एम०-२३०~~ - कृ०/पटना, दिनांक 21/03/2026  
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक : NHM/BHDS/114/2023-~~पी०पी०एम०-२३०~~ - कृ०/पटना, दिनांक 21/03/2026  
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, (सभी) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/114/2023-~~पी०पी०एम०-२३०~~ - कृ०/पटना, दिनांक 21/03/2026  
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)/सभी संयुक्त निदेशक उद्यान/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी उप निदेशक (कृषि अभि०)/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची-1

सामूहिक नलकूप योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत देयता से संबंधित विवरणी

क्र० सं०	निकासी एवं ब्ययन पदाधिकारी का नाम	जिला का नाम	देयता राशि (लाख रु०)			
			सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल देयता राशि (लाख रुपये में)
1	जिला उद्यान पदाधिकारी	बेगूसराय	1.10460	0.00	0.00	1.10460
2	जिला उद्यान पदाधिकारी	गायाजी	4.27345	0.00	0.00	4.27345
3	जिला उद्यान पदाधिकारी	जमुई	13.67029	4.27345	0.85469	18.79843
4	जिला उद्यान पदाधिकारी	कैमूर	33.33291	0.00	0.85469	34.1876
5	जिला उद्यान पदाधिकारी	किशनगंज	0.85469	0.00	0.00	0.85469
6	जिला उद्यान पदाधिकारी	नांदादा	2.56407	0.00	0.00	2.56407
7	जिला उद्यान पदाधिकारी	पटना	15.38442	0.00	0.00	15.38442
8	जिला उद्यान पदाधिकारी	समस्तीपुर	6.83752	0.00	0.00	6.83752
9	जिला उद्यान पदाधिकारी	शेखपुरा	5.12814	0.00	0.00	5.12814
10	जिला उद्यान पदाधिकारी	शिवहर	0.85469	0.00	0.00	0.85469
<b>कुल</b>			<b>84.00478</b>	<b>4.27345</b>	<b>1.70938</b>	<b>89.98761</b>

बिजय कुमार पंडित

(अभिषेक कुमार)